

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड III के अन्तर मण्डल स्थानान्तरण/स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं -

S.NO.	NAME	POST	SUBJECT	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	SANJOLY RJBW2014080235 30	Senior Teacher (II Gr.)	ENGLISH	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANOP (214486) (08240312409)	BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAOTA (218355) (08123004431)	JAIPUR	NO
2	MUKESH KUMAR SHARMA RJRA2018310072 90	Librarian (III Gr.)	-	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JETPURA (222755) (08250301001)	RAJSAMAND	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ISHARAWALA (218624) (08122900302)	JAIPUR	NO
3	NAVNEET PUROHIT RJL20122103579 4	Senior Teacher (II Gr.)	Mathematics	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHENDA (221194) (08200405101)	PALI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDA FALSA JODHPUR (220374) (08151503310)	JODHPUR	NO
4	AISHWARYA SHARMA RJCT2018110118 17	Senior Teacher (II Gr.)	Social Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOIKHEDA (227017) (08290523901)	CHITTAURGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KALYANPURA (408347) (08220106601)	TONK	NO
5	SMITA VISHNOI RJJO2011250275 03	Senior Teacher (II Gr.)	Mathematics	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDA FALSA JODHPUR (220374) (08151503310)	JODHPUR	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BALESAR SATTA (220253) (08150400128)	JODHPUR	YES

- 1 संबन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- 2 जिन कार्मिकों का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 'क' के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त कार्मिकों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 5 पद विरुद्ध प्रधानाध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित अधिकारी को कार्यग्रहण करवाकर प्रधानाध्यापक/ वरिष्ठ अध्यापक को संबन्धित कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।
- 6 कार्मिक का जिला/मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण के समय स्वैच्छा से स्थानान्तरित अंकित करते हुए पूर्व जिले की वरिष्ठतम विलोपन की सहमति का शपथ पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6 जारी कर) की कार्यवाही की जाये।
- 7 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये।
- 8 नवीन स्थानान्तरित जिले में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनथ सेवा नियम 1971 के नियम 29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन मण्डल/जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर


क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/एफ-1ए/स्थानान्तरण/2022/

दिनांक 28.07.2022

लगातार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 4 शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान-जयपुर
- 5 निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 6 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) सम्भाग मुख्यालय/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- 9 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- 10 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
- 11 संबंधित अधिकारी
- 12 रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

